न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 131 / 2024 दायर दिनॉक 18.06.2024

वादी		प्रतिवादी
1. गेकुड़ी देवी पत्नी हिम्मता राम जाति कुम्हार निवासी रेल्वे स्टेशन रोड़, डीडवाना तहसील डीडवाना जिला डीडवाना— कुचामन राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

राजस्व—वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः—

श्री नारायणराम परिहार एडवोकेट वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनॉक 25.02.2025

हस्तगत राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम ठाकरियास पटवार हल्का दादूबासनी के खेत खसरा सं0 545 रकबा 0.0200 हैक्टे0 गै.मु. ढाणी, खसरा सं0 546 रकवा 0.0400 हैक्टे0 गै.मु. ढाणी, खसरा सं0 547 रकबा 5.8200 हैक्टे0 बारानी 1 कुल खसरा 3 कुल रकबा 5.8800 भूमि वादीया की संयुक्त खातेदारी की स्थित है एवं सरहद भवादिया पटवार हल्का दादूबासनी खसरा सं0 410 रकबा 0.0200 हैक्टे0 गै.मु. कुण्ड, खसरा सं0 411 रकबा 0.1000 हैक्टे0 गै.मु. कुण्ड, खसरा सं0 412 रकबा 0.5300 हैक्टे0 बारानी 2, खसरा सं0 512 रकबा 3.1100 हैक्टे0 बारानी 2, खसरा सं0 514 रकबा 2.6500 हैक्टे0 बारानी 2 कुल खसरा 5 कुल रकवा 6.4100 हैक्टे0 वादीया की संयुक्त खातेदारी की स्थित है। उक्त भूमि में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की भूल व सहवन से राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम गेखी देवी दर्ज कर दिया व वादीया के पति का नाम हिमताराम दर्ज कर दिया जबकि वादिया का वास्तविक नाम गेकुडी देवी तथा वादिया के पति का वास्तविक नाम हिम्मताराम है। वादीया के अन्य दस्तावेजों बैंक डायरी, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में वादीया व उसके पति का नाम गेकुडी देवी पत्नी हिम्मताराम अंकित है जो सही व सत्य है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः—

राजस्व ग्राम ठाकरियास पटवार हल्का दादूबासनी के खेत खसरा सं0 545, 546 व 547 में व ग्राम भवादिया पटवार हल्का दादूबासनी के खेत खसरा सं0 410, 411, 412, 512 व 514 में वादीया व उसके पति का नाम गेखी देवी पत्नी हिमताराम के स्थान पर गेकुड़ी देवी पत्नी हिम्मता राम खातेदारी में इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाने का आदेश सादर फरमावें। तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर वादीया व उसके पति का नाम गेकुड़ी देवी पत्नी हिम्मता राम के नाम से खातेदारी इन्द्राज किया जावें।

Signature Not Verified

वादी का वाद दर्ज रजि... गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक / प... दि... 01.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:23:33 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, ... वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधि... की बहस पर मनन किया।

Vikas

...खण्ड अधिकारी

डीडवाना

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया सरहद ठाकरियास पटवार हल्का दादूबासनी के खेत खसरा सं0 545, 546 व 547 में व ग्राम भवादिया पटवार हल्का दादूबासनी के खेत खसरा सं0 410, 411, 412, 512 व 514 में वादिया व उसके पति का नाम गेखी देवी पत्नी हिमताराम के स्थान पर गेकुड़ी देवी पत्नी हिम्मता राम दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार सरहद ठाकरियास के नामा0 सं0 228 विरासत द्वारा गेखी देवी पत्नि हिमताराम जाति कुम्हार सा. डीडवाना दर्ज है। उक्त नामान्तरकरण में नाम गेखी देवी पत्नि हिमताराम दर्ज हुआ है। अधिवक्ता वादीया ने अपनी बहस में कथन किया कि आम बोलचाल की भाषा में गेकुडी देवी को गेखी देवी नाम से पुकारा जाता है जोकि वादीया के आमपुकार का नाम है जबकि वादीया का अन्य दस्तावेजों में सही नाम गेखी देवी के स्थान पर गेकुडी देवी है। वादीया का नाम राजस्व रेकर्ड में आम बोलचाल की भाषा से गलत अंकन गेखी देवी पत्नी हिमताराम होने के कारण वादीया के नाम के सही अंकन गेकुडी देवी पत्नी हिम्मता राम होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः बाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
सत्यमेव जयते

—:: आदेश ::—

सरहद ठाकरियास पटवार हल्का दादूबासनी के खेत खसरा सं0 545, 546 व 547 में व ग्राम भवादिया पटवार हल्का दादूबासनी के खेत खसरा सं0 410, 411, 412, 512 व 514 में गेखी देवी पत्नी हिमताराम के स्थान पर गेकुड़ी देवी पत्नी हिम्मता राम दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 25.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:23:33 IST
Reason: SelfAttested